हिस्सा 0.05 है, कौम खाती पर हिस्सा 1/4, हरिश्चन्द्र पु० तसवीरसिंह जाति प्रजापत हि० 1/4 दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है धारा 53 के प्रावधान अनुसार हक रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रकरण में प्रति० 1 किशोर फौत हो चुके है जिनके वारिस प्रति० नं 1/1, 1/2 व 2 लगायत 5 है जो वादपत्र में रिकार्ड पर आ चुके है। उक्त विवेचन से वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की पारित है कि ग्राम जड़ावांनगर की सरहद में स्थित भूमि ख०नं० 2593, 2594, 2597 किता – 3 कुल रकबा 3.54 है० एवं ख०नं० 2595 रकबा 1.23 है० का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा दो प्रतियों में मय नक्शा के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.18 को कैम्प कोर्ट पचलंगी में सुनाया गया [signature] 23/5

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner